राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

बोली शुल्क रुपये 300/–
बोली बेचने की अंतिम तिथि :– 08.05.2015 सायं 3:00 बजे तक
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि :– 08.05.2015 सायं 4:00 बजे तक
बोली खोलने की तिथि व समय :– 08.05.2015 सायं 5:00 बजे

टेन्ट व्यवस्था हेतु बोली प्रपत्र

विषयः– केन्द्रीय जनजाति आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, उदयपुर (22 दिवसीय शिविर) हेतु टेन्टेज व्यवस्था के लिए बोली।

1. बोलीदाता का नाम एवं डाक का पूरा पता .....
.....दूरभाष संख्या .....।
2. संदर्भ बोली विज्ञप्ति क्रमांक 02/2015–16 दिनांक 23.04.2015
3. बोली शुल्क की राशि रुपये 300/– जरिये रसीद संख्या ..... दिनांक ..... से जमा कराई गई।
4. हम राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् जयपुर द्वारा जारी बोली सूचना संख्या ...../2015–15 दिनांक 23.04.2015 में वर्णित अतिरिक्त शर्तों एवं बोली प्रपत्र में वर्णित अतिरिक्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।
5. निम्नलिखित टेन्ट सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने के लिए दरें निम्न प्रकार होंगी :

क्र.सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	दर प्रतिनग/प्रतिदिन	दिनों की संख्या	कुल राशि
1	दरी 6X8	100		22	
2	गद्दा	325		22	
3	तकिया	325		22	
4	चादर सफेद/रंगीन	325		22	
5	पलंग लोहे के	30		22	
6	कुर्सी प्लास्टिक	60		22	
7	कुसी डनलप (कवर सहित)	15		2	
8	टेबिल	30		22	
9	टेबिल कवर सफेद मय प्लास्टिक	30		22	
10	सोफा सेट (3सीटर)	02		2	
11	शामियाना रंगीन 45X90 (2 दिन)	Per S.Q.Ft.		2	
12	शामियाना सफेद 30X60	Per S.Q.Ft.		22	

13	टेन्ट पर्दा 45X90	शामियानानुसार		22	
14	स्टेज पर्दा 30X16	10		2	
15	स्टेज तख्त	10		2	
16	कनात	30		22	
17	माईक सेट बैटरी सहित	2		2	
18	सेन्टर टेबिल	1		2	
19	पानी की टंकी	20		22	
20	भाषण डेस्क	1		2	
21	स्टेज सीढी	1		2	
22	स्वागत गेट	1		2	
23	डेजर्ट कूलर	40		22	
24	पेडस्टल फेन	15		22	
25	रेड कार्पेट	1000 S.Q.Ft.		2	
			कुल राशि		

नोट : उक्त कुल राशि न्यून्तम दर चयन का आधार होगी।

6. टेन्ट सामग्री आवश्यकतानुसार मात्रा में आदेशित किए गए दिनों एवं स्थानों पर उपलब्ध कार्यवाही जावेगी। सामग्री जितने दिवस उपयोग में ली जावेगी उतने दिवस का किराया ही देय होगा।
7. सामग्री की अनुमानित मात्रा में कमी एवं वृद्धि करने का अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसका दी गई दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
8. टेन्ट सामग्री साफ–सुथरी, साबुत उपलब्ध करानी होगी।
9. टेन्ट सामग्री को स्थापित करने का कार्य की दर तथा लाने एवं ले जाने का ट्रान्सपोर्टेशन का व्यय दरों में सम्मिलित होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. कार्य समाप्ति पर टेन्ट सामग्री को वापिस ले जाने का कार्य फर्म द्वारा किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार की टूट फूट एवं नुकसान हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।
11. ऊपर उद्धृत की गई दरें एक वर्ष तक के लिए विधि मान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
12. बैंक ड्राफ्ट/नकद राशि ..... दिनांक ..... जो ..... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
13. इसके साथ सेवाकर पंजीयन एवं सेवाकर चुकती प्रमाण–पत्र संलग्न है।
14. बोलीओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। लिफाफे के ऊपर **"केन्द्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, उदयपुर – 2015 टेन्ट व्यवस्था हेतु बोली"** अंकित करें तथा साथ ही लिफाफे पर अपनी फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम व पता .....

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद,

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्तें

विशेष टिप्पणी :– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलीएँ भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. (अ) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना परिषद को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

   (ब) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी नये भागीदार/भागीदारों का ठेकेदार द्वारा फर्म से सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं परिषद को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद को बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा ये संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति डिस्चार्ज होगी।

3. कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित, जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्रीकर चुकता प्रमाण–पत्र बोलीओं के साथ प्रस्तुत करेगा। इनके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. बोली प्रारूप स्याही से भरे जायेंगे या टंकण से भरा जावेगा। पेन्सिल से की गई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटि/दो अक्षर लेखन (उपरिलेखन) नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो यह स्पष्ट रूप से ही की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर की राशि को प्रथृक से दिखाना चाहिए।
6. बोली उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।
7. बोलीदाता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे पर नहीं देगा।
8. बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. विहित समय एवं तारीख के पश्चात् जो भी बोलीएं प्राप्त होंगी उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
10. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।
11. दरें शिविर स्थल तक एफ.ओ.आर. होंगी तथा किसी गाडी भाडे (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का परिषद भुगतान नहीं करेगी।

12. किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सबके लिए या एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को क्रेताधिकारी अपने पास आरक्षित रखेगा।

13. **बयाना राशि** :–

(i) बोली के साथ (बोली सूचना के अनुसार) .....बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सचिव राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के पक्ष में नकद राशि/ बैंक का ड्राफ्ट इनमें से किसी रूप में जमा करायी जा सकती है।

(ii) असफल बोलीदाता की बयाना राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा संभव शीघ्र लौटा दी जावेगी।

(iii) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण परिषद कार्यालय के पास जमा बयानाराशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

14 बयाना राशि का समपहरण:– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरत कर लिया जायेगा :–

1. जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
2. जब बोलीदाता विर्निष्ट समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नहीं करता है।
3. जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
4. जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

15. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप** :–

क. सफल बोलीदाता को आदेश दिनांक से 5 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित एक करार–पत्र 500/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित व्यय जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति बोली को स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से तीन दिन में जमा कराई जायेगी।

ख. बोली के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा।

ग. बयाना/प्रतिभूति राशि पर परिषद द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

घ. प्रतिभूति राशि के रूप में नकद रसीद पत्र/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक मान्य होंगे।

16. प्रतिभूति राशि का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा:–

1. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
2. जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
3. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरत करने के मामले में युक्तियुक्त नोटिस दिया जावेगा इस सम्बन्ध में परिषद के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
4. कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी। उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के

भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

17. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

18. सफल बोलीदाता को क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय करना होगा तथा उचित पैंकिंग करेगा ताकि परिवहन के दौरान नुकसान नहीं हो। परिवहन के दौरान किसी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान, हानि या रिसाव या किसी प्रकार की कमी होने के मामले में, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

19. टैण्ट लगाए जाने/हटाने या टैण्ट व्यवस्था के दौरान सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्डों के पालन की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, साईट पर किसी भी दुर्घटना का दायित्व निविदादाता का होगा। परिषद इसके लिए किसी भी प्रकार से उतरदायित्व नहीं होगी।

20. <u>परिसमापित नुकसानी</u> :–

1. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए।	2.5 %
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए।	5 %
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अनधिक के लिए।	7.5 %
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए।	10 %

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
3. रिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
4. दि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
5. यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

21. <u>वसूली</u> :–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सनतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त कि अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

22. <u>भुगतान</u> :–

1. बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
3. उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।
23. यदि कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बढ़ाना साध्य नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित उवसर देकर ऐसी कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।
24. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।
25. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।
26. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की शेष शर्तें भी लागू होंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(मय नाम पता एवं मोहर)

मोबाईल नम्बर

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

बोलीदाता का नाम व पता .....

.....

.....

क्र.सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हॉ/नहीं)
1	बोली प्रपत्र मय शर्तों के हस्ताक्षर कर संलग्न किया।	
2	बिक्री कर पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई, यदि कोई हो।	
3	बिक्री कर चुकता प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई यदि कोई हो।	
4	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहे।	

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

मोबाईल नम्बर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने केन्द्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, उदयपुर 2015 में टेण्ट व्यवस्था हेतु बोली दी है। उसके लिए मैं/हम सक्षम हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता का नाम .....
पूर्ण पता .....
.....
.....
टेलिफोन नंबर (निवास) .....
(कार्यालय) .....
मो0नं0 .....
ई–मेल .....